न्यायालयः– अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2 केकडी, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी – प्रवीण कुमार वर्मा
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक अपील संख्या – 63/2025
सीआईएस संख्या – 57/2023
सीएनआर संख्या – आरजेएजे130011282023

श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री जगदीश निवासी बघेरा पुलिस थाना केकड़ी शहर जिला अजमेर। **–अपीलार्थीया/परिवादिया**

बनाम

1. बद्री पुत्र हरजी
2. रामगोपाल पुत्र हरजी
3. नौरत पुत्र बद्री
निवासीगण कुम्हार मोहल्ला, बघेरा, थाना केकड़ी शहर जिला अजमेर।

– प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण

अपील अन्तर्गत धारा–372 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरुद्ध निर्णय दिनांक 03–10–2023, जो श्री रमेश कुमार करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकडी द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 160/2023 (505/2023) उनवानी राजस्थान राज्य बनाम बद्री व अन्य में पारित किया, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को धारा 323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर परिवीक्षा पर रिहा गया।

उपस्थितः–

1. श्री दशरथ सिंह कान्दलोत एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौड़– अधिवक्तागण अपीलार्थीया/परिवादिया
2. श्री मुकेश शर्मा– अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

–निर्णय– **दिनांकः–19–03–2026**

1. हस्तगत दाण्डिक अपील अपीलार्थीया/परिवादिया द्वारा अपर सेशन

न्यायाधीश संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर के समक्ष दिनांक 01–11–2023 को श्री रमेश कुमार करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1 केकड़ी द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 160/2023 (505/2023) में पारित निर्णय, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध धारा 323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में परिवीक्षा का लाभ दिया गया है, के विरूद्ध पेश की गई है। यह अपील श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर के आदेश क्रमांक 206 दिनांक 30.04.2025 की पालना में निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुई, जिस पर उक्त अपील इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15–02–2023 को परिवादिया श्रीमती सोहनी देवी ने पुलिस थाना केकड़ी पर एक टाईपशुदा रिपोर्ट संक्षिप्त में इस आशय की पेश की कि कल दिनांक 14–02–2023 को शाम के 6 बजे जब वह अपने खेत की मेड पर गेहूं की फसल को जानवरों से बचाने के लिए बाड लगा रही थी तभी गोपाल उसे हटाने लगा। शाम को घर आई तो शाम के 7 बजे गोपाल, बद्री, नौरत, अर्जुन, दीपू, कृष्णा, श्रवणी, शांति एकराय होकर हाथों में लकड़ियां लेकर आए और घर में घुस कर उसके साथ मारपीट की। हल्ला सुनकर उसका पति जगदीश व पौत्र शैलेन्द्र ने बीच बचाव किया तो पौत्र शैलेन्द्र के साथ भी मारपीट की और उसके पति की कमीज में से 9500/–रूपये व अन्य दस्तावेज छीनकर ले गए। .....आदि। उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना केकड़ी शहर द्वारा मुकदमा संख्या 72/2023 धारा 447, 427, 143, 452, 323, 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्तगण बद्री, रामगोपाल व नौरत के विरूद्ध धारा 323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में आरोपपत्र विचारण न्यायालय में पेश किया।

3. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को धारा 323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप की विशिष्टियां मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गई तो अभियुक्तगण ने अपराध के आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में अभियोजन साक्षी–1 सोहनी,

अभियोजन साक्षी–2 जगदीश,, अभियोजन साक्षी–3 शंकरलाल, अभियोजन साक्षी–4 शैलेन्द्र सैनी को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 तहरीरी रिपोर्ट लगायत प्रदर्श पी–6 चोट प्रतिवेदन शैलेन्द्र को प्रदर्शित करवाया।

4. अभियुक्तगण के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए जाने पर अभियुक्तगण ने समस्त अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूंठा फंसाया जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषिसद्ध घोषित किया जाकर दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ देते हुए 06 माह की अवधि हेतु 10,000/–रूपये का स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक कराने एवं परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत बतौर अभियोजन व्यय 300/– – 300/– रूपये जमा कराए जाने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त दंडादेश से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थीया/परिवादिया द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. बहस अपील सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया/परिवादिया ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 03–10–2023 में पारित दण्डादेश विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर गम्भीर दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा का लाभ दिया है, इसलिए आक्षेपित निर्णय में पारित दण्डादेश निरस्तनीय है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों के बयानों से यह साबित है कि अभियुक्तगण ने एक राय होकर परिवादिया, उसके पति व उसके पौत्र के साथ मारपीट की, इसके उपरान्त भी अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया गया है, जिससे न्याय की पूर्ति नहीं होती है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीया/परिवादिया की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय में पारित दण्डादेश को अपास्त करते हुए करते हुए प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण को दोषिसद्ध अपराध में कठोर दण्ड से दंडित किया जाए।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण का यह तर्क

रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय में पारित दण्डादेश में किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीया/परिवादिया की अपील खारिज की जाए।

7. बहस की रोशनी में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपील पत्रावली, विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय में पारित दण्डादेश का अवलोकन किया गया।

8. अपील के निर्धारण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैः–''

क्या विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांकित 03–10–2023 में पारित दण्डादेश, विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है?"

9. चूंकि यह अपील अपीलार्थीया/परिवादिया द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–10–2023 में पारित दण्डादेश के विरूद्ध पेश की गई है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी के आदेश दिनांक 03–10–2023 पर विवेचन किए जाना अपेक्षित नहीं है, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध हुई समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया गया, इस संबंध में अभियोजन साक्षी–1 सोहनी परिवादिया/मजरूबा, चश्मदीद गवाह व मजरूबान अभियोजन साक्षी–2 जगदीश व अभियोजन साक्षी–4 शैलेन्द्र सैनी की साक्ष्य महत्वपूर्ण है तथा इन तीनों ही मजरूबान साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया कि वक्त घटना अभियुक्तगण ने बाडे की बात को लेकर उनके बरामदें में हुए बैठे हुए के साथ मारपीट की और उक्त मारपीट में मजरूबा सोहनी के पैर के घुटने, कमर के दांयी तरफ, मजरूब जगदीश के पैर के घुटने व मजरूब शैलेन्द्र के पैर के घुटने, गर्दन व कोहनी पर चोटें आई और पत्रावली पर उपलब्ध मजरूबान के चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी–4 लगायत पी–6 का अवलोकन किया जाए तो दर्शित होता है कि मजरूबान ने जिस प्रकृति की स्वयं के इस मारपीट में उपहितयां कारित होना बताया है, उसकी पुष्टि इन चोट प्रतिवेदनों से होती है तथा इन तीनों ही मजरूबान से बचाव पक्ष द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपरीक्षा नही किए जाने से उक्त तीनों साक्षीगण की साक्ष्य पूर्णतया अखंडित रही है।

10. इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आई संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण को धारा

323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया गया है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध की हद तक की गई दोषसिद्धी की पुष्टि की जाती है।

11. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है इस संबंध में उभयपक्ष को सुना गया। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीया/परिवादिया का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण को जिन अपराधों में दोषसिद्ध किया गया है, उसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर कारावास के सजा से दंडित किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अभियुक्तगण ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया है।

12. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण को धारा 323, 451 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है और वैसे भी अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण वर्ष 2023 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रही हैं, इसलिए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

13. अतः अपीलार्थीया/परिवादिया श्रीमती सोहनी की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1 केकड़ी द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 160/2023 (505/2023) उनवान राजस्थान राज्य बनाम बद्री व अन्य में पारित दोषसिद्धी के आदेश की पुष्टि की जाती है, किंतु प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक 03–10–2023 को अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4 के तहत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत 10,000/–रू. की जमानत व इसी कदर का मुचलका इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक कराए कि वे 06 माह तक शांति एवं सद्भावना बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, जब भी न्यायालय वांछित करेगा दण्ड

भुगतने हेतु उपस्थित हो जायेंगे, तो उन्हे तुरंत परिवीक्षा पर छोड दिया जाए। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय के तहत 1000/– – 1000/–रूपये, कुल 3,000/– रूपये अधिरोपित किए जाते हैं, जो वे विचारण न्यायालय में जमा करायेंगे और उक्त राशि जमा होने के उपरांत उक्त राशि बाद गुजरने मियाद अपील/रिविजन मजरूबा सोहनी देवी को प्रदत्त की जाएगी। उक्त आदेश की पालना प्रत्यर्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा एक माह में की जाए। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति अविलम्ब प्रेषित की जाए।

(प्रवीण कुमार वर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–2 केकड़ी जिला अजमेर।

14. निर्णय आज दिनांक 19–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार वर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–2 केकड़ी जिला अजमेर।

SURENDRA SINGH PANWAR
Steno Gr.I "Authenticated Document" Digitally signed by SURENDRA SINGH PANWAR Date: 2026.03.19 16:35:03 +0530